न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

बः इजलास– प्रियंका तलानिया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–27/2021

भागीरथ पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल उम्र 49 निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल चक 7 ए.पी.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

—— वादी

बनाम्

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

—— प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

::निर्णय:: **दिनांकः–27.02.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 7 एपीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं.–300/419 के किला नं.–1ता22 की कुल 5.566 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी वादी एवं अन्य के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादी निवेदन करता है कि वाद पत्र की मद सं.–02 में दर्ज कृषि भूमि वादी व अन्य वारिसों के नाम से विरास्तन आधार पर वादी के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह खातेदार कृषक है। वादी का सही वा वास्तविक नाम भागीरथ पुत्र गणपतराम है लेकिन उसका घरेलू नाम पप्पुराम होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों पप्पू व भागीरथ के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है वादी के परिवार द्वारा वारिस प्रमाण पत्र तैयार करवाते समय सहबन से वारिसनामा में वादी का घरेलू नाम पप्पूराम पुत्र गणपतराम दर्ज दिया था तत्पश्चात वारिसनामा के आधार पर वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड पप्पुराम पुत्र गण्पतराम के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भूल है। वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, राशनकार्ड व बैंक खाता जिनकी प्रतियां संलग्न वाद पत्र है, में वादी का नाम भागीरथ पुत्र गणपतराम ही दर्ज है। लेकिन वादी के घर मे वादी को घरेलू नाम पप्पूराम के नाम से पुकारते थे इसलिए वारिसनामा मे वादी का नाम पप्पूराम दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम भागीरथ ही है। वादी को पूर्व मे उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था अब वादी उक्त क[illegible] नाम [illegible]करण की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो [illegible] रिकॉर्ड देखकर बताया कि आपका यानि भागीरथ का नाम दर्ज [illegible] रिकॉर्ड में पप्पूराम दर्ज है पटवारी हल्का ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय [illegible]यालय में चारागोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार, राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय मे चारागोई करें बस यही बिनाय दावा एवं मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व वास्तविक नाम भागीरथ पुत्र गणपतराम है लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे उसका घरेलू नाम पप्पूराम दर्ज हो गया जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है वादी के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

Priyanka

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:51 IST
Reason: Self Attested

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज. उपस्थित आए। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी अपना नाम जमाबंदी के पप्पूराम के स्थान पर भागीरथ दुरूस्त करवाना चाहता है। चक 7 एपीएम मे पत्थर नं.–300/419 का कुल 5.566 हैक्टर रकबा जगतपाल, पप्पूराम, मांगीराम व सतीर पुत्रगण गणपतराम जाति मेघवाल साकिन 7 एपीएम खातेदार के नाम से दर्ज है। मौके पर पूछताछ करने पर प्रार्थी के भाईयों तथा पडौसियों ने बताया कि पप्पूराम व भागीरथ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। भागीरथ का घरेलू नाम पप्पूराम था। पिता का वारिसनामा तैयार करवाते समय घरेलू नाम ही दर्ज हो गया जिसके फलस्वरूप विरासतन नामान्तरण में भागीरथ का घरेलू नाम पप्पूराम ही दर्ज हो गया जो वर्तमान में भी पप्पूराम अंकित है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों मे नाम भागीरथ है तथा पप्पूराम के स्थान पर भागीरथ की जाने की अनुशंषा की है।

वादी ने अपने साक्ष्यवादी के दौरान गवाह पीडब्ल्यू–1 स्वयं भागीरथ, पीडब्ल्यू–2 सतवीर, पी.डब्लयू–3 जगतपाल, पीडब्ल्यू–4 मांगेराम के अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत के शपथ पत्र पेश किये। राजपैरोकार द्वारा जिरह की गई। अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी, प्रदर्श–1 ए जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 आधार कार्ड, प्रदर्श–2 ए आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3 निर्वाचन पहचान पत्र, प्रदर्श–3 ए निर्वाचन पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 राशनकार्ड, प्रदर्श–4 ए राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–5 ए भामाशाह कार्ड की प्रमाणित प्रति, पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टस का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायालय की राय में वादी अपने साक्ष्यों से वाद अपने पक्ष में साबित/सिद्ध करने में सफल रहा है कि वादी का नाम पप्पूराम न होकर पप्पूराम उर्फ भागीरथ है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक–चक 7 ए.पी.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–17 पत्थर सं.–300/419 के किला नं.–1ता22 की कुल 5.566 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार का नाम पप्पूराम पुत्र गणपतराम के स्थान पर पप्पूराम उर्फ भागीरथ पुत्र गणपतराम तदिद्व दुरूस्त किया जाता है। प्रतिवादी तहसीलदार, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.03.27 16:36:51 IST
Reason: SelfAttested